Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (तहसीलदार कोटखावदा का रीडर) 5 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *13 सितम्बर, बुधवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर ग्रामीण इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये लालचंद शर्मा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कम रीडर, कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटखावदा, जिला जयपुर को परिवादी से **5 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर ग्रामीण इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि कृषि भूमि में रास्ते के वाद में संशोधित रिपोर्ट की प्रतिलिपि देने की एवज में लालचंद शर्मा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कम रीडर, कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटखावदा, जिला जयपुर द्वारा **5 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत** के सुपरवीजन में एसीबी की जयपुर ग्रामीण इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अब्दुल आहद खान** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री नीरज भारद्वाज** द्वारा मय टीम जयपुर ग्रामीण के ट्रेप कार्यवाही करते हुये लालचंद शर्मा पुत्र श्री सूरजमल शर्मा निवासी ग्राम रामपुरा, पोस्ट बीलवा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कम रीडर, कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटखावदा, जिला जयपुर को परिवादी से **5 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।